

41 नमः 24

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित नहीं। न्यायालय
द्वारा वारं 2 न्यायाधीश लगावारे जाने से वाबजूह वकील वादी
उपस्थित नहीं हुए। अतः उक्त अदम - धर्मि व अदम
पैरवी में अन्तर्गत न्यायाधीश 9/23 जो. दी से न्याय खारिज
किया जाता है। पत्रावली केवल श्रमा देता वाद नाहित
हारिबल दफतर ही। निर्णय रुकल न्यायालय में हुआ।
गाम्ना

उपस्थित अधिकारी
न्यायालय